10/9/2024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की रजि.एडी.रसीद पेश की जो संलग्न पत्रावली है अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पांचला पटवार हल्का पांचला तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 68 रकबा 1.40 हैक्टयर खसरा नम्बर 69 रकबा 1.82 हैक्टयर कुल रकबा 3.22 हैक्टयर भूमि पैतृक सामलाती आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का अलग–अलग हक हिस्सा है। अप्रार्थीगण उक्त सामलाती भूमि का आपसी सहमति से बिना बंटवाड़ा करने से स्पष्ट इनकार कर रहे है तथा ऐलानिया धमकी दे रहे है कि बिना बंटवाड़ा करवाये भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देगे। तथा प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जा काश्त में दखलन्दाजी पैदा कर देंगे। तथा अप्रार्थीगण यह सोचते है कि प्रार्थीगण परेशान होकर अपना हक–हिस्सा अपने को बेचान कर दे, ऐसी मन्शा रख कर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है, अगर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जायेगें तथा प्रार्थीगण को भारी परेशानी में डाल देगें। जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी तथा ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयो पैसों में किया जाना संभव नही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद ताफैसला तक पाबन्द किया जावे।

हमनें वकील प्रार्थीगण वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है कि मौजा पांचला पटवार हल्का पांचला तहसील सांचौर [illegible] 68 रकबा 1.40 हैक्टयर खसरा नम्बर 69 रकबा 1.82 [illegible] कुल रकबा 3.22 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण [illegible] बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो [illegible] नम्बर से कम। ए[illegible] मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:20:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner